

मध्यप्रदेश में

निःशक्तजनों को आत्मीय स्पर्श से संभालने के प्रयास

कहीं पीठ पर सवार बचपन, तो कहीं बैसाखियों के सहारे चलता युवा और कहीं व्हीलचेयर पर अपने जीवन को कठिनाईयों से आगे बढ़ा रहे लोग। यह है विकलांगता के अभिशाप से ग्रसित जीवन। लोगों की यह दशा एक आम आदमी सामान्य तौर पर देखकर भूल जाता है, किन्तु निःशक्तजन यह कभी नहीं बिसरा पाता कि वह अपंगता का शिकार है। चाहे स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता से हुई अनदेखी हो अथवा प्राकृतिक आपदा से आई निःशक्तता, इनकी पीड़ा किसी गरीब दुखिया से कम नहीं है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें अपने साथ बैठकर इनके जीवन की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक कठिनाईयों को जाना और समझा है।

वास्तव में निःशक्तजनों का विकास और कल्याण इनमें आत्मविश्वास जगाकर आत्म निर्भर बनाने में ही संभव होगा। मध्यप्रदेश सरकार की इसी अवधारणा ने निःशक्तजनों के हित में निर्णय लिए हैं। अब कदम-कदम पर ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं जो निःशक्तजनों के डगमगाते आत्मविश्वास को आत्मीय स्पर्श से संभालने में सक्षम साबित हो रहे हैं।

छात्रवृत्तियाँ हर महीने

प्राथमिक स्तर
माध्यमिक

बालक

25 रूपये
30 रूपये

बालिका

35 रूपये
40 रूपये

उच्चतर माध्यमिक (सामान्य/पिछड़ा वर्ग)

बालक दैनिक

110 रूपये

बालक छात्रावासी

500 रूपये

बालिका दैनिक

120 रूपये

बालिका छात्रावासी

500 रूपये

उच्चतर माध्यमिक अनुसूचित जाति/जनजाति

110 रूपये

500 रूपये

120 रूपये

500 रूपये

(इन्हें सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामने अंकित राशि का टापअप व्हाउचर उपलब्ध कराया जायेगा।)

बालक दैनिक

250 रूपये

बालक छात्रावासी

500 रूपये

बालिका दैनिक

250 रूपये

बालिका छात्रावासी

500 रूपये

स्नातक (सामान्य/पिछड़ा वर्ग)

स्नातक अनुसूचित जाति/जनजाति

(इन्हें सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामने अंकित राशि का टापअप व्हाउचर उपलब्ध कराया जायेगा।)

250 रूपये

500 रूपये

250 रूपये

500 रूपये

(इन्हें सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामने अंकित राशि का टापअप व्हाउचर उपलब्ध कराया जायेगा।)

बालक दैनिक

300 रूपये

बालक छात्रावासी

525 रूपये

बालिका दैनिक

300 रूपये

बालिका छात्रावासी

525 रूपये

स्नातकोत्तर (सामान्य/पिछड़ा वर्ग)

स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति

(इन्हें सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामने अंकित राशि का टापअप व्हाउचर उपलब्ध कराया जायेगा।)

300 रूपये

525 रूपये

300 रूपये

525 रूपये

स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति

(इन्हें सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामने अंकित राशि का टापअप व्हाउचर उपलब्ध कराया जायेगा।)

300 रूपये

525 रूपये

300 रूपये

525 रूपये

कृष्ण निवारण (3 स्वैच्छिक संस्थाएं)

भोपाल/इन्दौर, झाबुआ को अनुदान

प्रशिक्षण

शासकीय संस्थाओं में कार्यरत निशक्तजन

वर्ष 2007-08

वर्ष 2008-09

वर्ष 2007-08

वर्ष 2008-09

वर्ष 2007-08

वर्ष 2008-09

वर्ष 2007-08

वर्ष 2008-09

वर्ष 2007-08

वर्ष 2008-09

8300 हितग्राही

10500 हितग्राही

3715 हितग्राही

4775 हितग्राही

3000 हितग्राही

200 हितग्राही

200 हितग्राही

1080 हितग्राही

1080 हितग्राही

34281000 प्रावधान

67813000 प्रावधान

2330000 प्रावधान

401000 प्रावधान

451000 प्रावधान

675000 प्रावधान

900000 प्रावधान

38949000 प्रावधान

66750000 प्रावधान

बच्चों को शिक्षण-प्रशिक्षण

जबलपुर और इन्दौर में चार-चार, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, भोपाल, सागर में दो-दो खरगोन और बैतूल में एक-एक

महर्षि दधीचि पुरस्कार

निःशक्तजन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्ति और संस्था को राज्य स्तरीय पुरस्कार

विवाह प्रोत्साहन योजना

निःशक्त दम्पति को विवाह पर 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना

राज्य शासन अपने व्यय पर प्रत्येक वर्ष 12 निःशक्त छात्र-छात्राओं को विदेश अध्ययन के लिए भेजेगा।

प्रथम एक लाख रूपये
द्वितीय पचास हजार रूपये
तृतीय पच्चीस हजार रूपये
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ।
शासन द्वारा प्रति विद्यार्थी 15 लाख तक का खर्च।



वही मजबूत किश्ती है और साहिल भी पहचाना।
कदम दर साथ का वादा- फकत हमराह बन जाना ॥